



Registered
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. CL/89/Vol III/2020

दिनांक

Date 14-1-20

सेवा में,

मैसर्स इको प्रो इंजीनियर्स प्रा०लि०
32/41, साउथ साइड आफ जी०टी० रोड,
यू०पी०एस०आई०डी०सी० औद्योगिक क्षेत्र,
गाजियाबाद-2010009।

विषय: वायु प्रदूषण जांच/अनुश्रवण संबंधी कार्यों के लिए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 17 (उपधारा - 2) के अन्तर्गत प्रयोगशाला को मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.09.2019 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्न शर्तों के अधीन वायु प्रदूषण अनुश्रवण संबंधी कार्यों हेतु दिसम्बर 2021 तक की अवधि हेतु उक्त प्रयोगशाला को मान्यता प्रदान की जाती है:-

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित विधियों के अनुसार परिवेशीय वायुगुणता एवं औद्योगिक उत्सर्जन की स्टैक मॉनिटरिंग एवं गैस प्रचालकों का विश्लेषण किया जाएगा।
2. यदि किसी प्रयोगशाला द्वारा किसी उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र की स्थापना भी की गई हो तो उसके स्वयं के प्रयोगशाला द्वारा ऐसे लगाए गए संयंत्र की प्रदूषण नियंत्रण क्षमता की जांच रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। उनकी दूसरी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच करानी होगी।
3. प्रयोगशाला द्वारा जिस उद्योग के उत्सर्जन की जांच किया जाना प्रस्तावित हो उसकी तिथि एवं समय की पूर्व सूचना बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/केन्द्रीय प्रयोगशाला को कम से कम एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला द्वारा किसी भी समय जांच में यदि यह पाया जाता है कि प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण में अनियमितता की जा रही है तो ऐसी दशा में प्रयोगशाला की मान्यता को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
5. प्रयोगशाला द्वारा किए जाने वाले वायु अनुश्रवण/स्टैक अनुश्रवण एवं गैसीय नमूनों के विश्लेषण आदि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बोर्ड द्वारा समय समय पर एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल टैस्ट कराया जाएगा।
6. प्रयोगशाला द्वारा नमूना एकत्रण विश्लेषण आदि का पूर्ण विवरण सुरक्षित रखा जाएगा एवं बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय जांच हेतु मांगने पर उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित वायु अनुश्रवण रिपोर्ट मात्र परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण तथा सहमति प्रकरण पर निर्णय हेतु विचार की जाएगी।

भवदीय

(डा० बी०बी० अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला